न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

पील संख्या 53/16 तारीख रजू– 08/03/2016

गन पुत्र सुखचन्द जाति बैरवा निवासी रामगढ मुराडा तहसील गंगापुरसिटी। ––अपीलार्थी

बनाम

रकार जरिये नायब तहसीलदार,तलावडा। –––––– रेस्पो0

निर्णय दिनांक–29/06/2016

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब हसीलदार,तलावडा द्वारा मिसल संख्या 860/15 मे पारित आदेश दिनांक 01/10/2015 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम रामगढ मुराडा की आराजी खसरा नम्बर 02 रकवा 0.20 हैक्टर किस्म गै0मु0चरागाह पर संवत 2072 खरीफ मे अनाधिकृत रूप से कब्जा कर काश्त करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने व फसल जब्त कर नीलाम करने के साथ साथ अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण निस्तारण हेतु राजस्व लोक अदालत मे रखा गया।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो का वर्णन करते हुए बहस मे तर्क दिया कि अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी को पटवारी हल्का के बयानो पर जिरह का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है ओर न ही अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान किया है। अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट व बयान को एकमात्र आधार मानकर अपीलार्थी को बिना सुने एकपक्षीय निर्णय पारित किया है इस कारण अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य मोजूद नही है। अपीलार्थी को पूर्व निर्णय की पालना मे अतिक्रमित आराजी से भोतिक रूप से बेदखल भी नही किया गया है ओर न ही बेदखली बाबत कोई स्वतन्त्र साक्ष्य है इस कारण अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि मोके पर भूमि बिलकुल खाली है परन्तु अदालत मातहत ने मोके की जॉच किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे तर्क दिया कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने व अपीलार्थी का अतिचारित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचार पाये जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमिता व अवैधानिकता नही है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

दोनो पक्षो की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की अपीलार्थी के विरूद्व पश्चातवर्ती अतिचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने हेतु धारा 91(3) का नोटिस नियत दिनांक

1/10/15 का जारी किया है जिस पर अपीलार्थी की प्रोपर तामील हुई है। अतः वकील अपीलार्थी का ह कथन कि उसे सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान नही किया गया है मिथ्या है। जहां तक अतिक्रमित राजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचार होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली मे पटवारी ल्का की रिपोर्ट व बयान के अतिरिक्त खसरा परिवर्तनशील (पी.14) की प्रमाणित प्रति पत्रावली मे शामिल जिसमे संवत 2071 रबी मे 0.20 हैक्टर बारानी–3 पर अपीलार्थी का अतिचार होना बता रखा है जबकि टवारी हल्का ने अपीलार्थी के विरूद्व संवत 2072 खरीफ मे अपीलार्थी के विरूद्व जो पश्चातवर्ती अतिचार ी रिपोर्ट अदालत मातहत मे पेश की है उसमे खसरा नम्बर 02 रकवा 0.20 हेक्टर किस्म चरागाह, की है बकि खसरा परिवर्तनशील मे भूमि की किस्म बारानी–3 अंकित है इस प्रकार पटवारी रिपोर्ट व खसरा रिवर्तनशील मे भूमि की किस्म मे भी भिन्नता होने के कारण अपीलार्थी का अतिक्रमित आराजी पर श्चातवर्ती अतिचार होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य का होना नही पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अदालत ाजा ने भी अदालत मातहत से अपीलार्थी के अतिक्रमित रकवे की वर्तमान कब्जा रिपोर्ट मंगवायी है जसमे उन्होने पत्राक 420 दिनांक 27/06/16 से अवगत कराया है कि अतिक्रमित आराजी पर पीलार्थी का कब्जा नही है मोके पर भूमि खाली पडी है तथा भूमि मवेशियो के चरने के काम आ ही है। इस प्रकार अदालत मातहत की पत्रावली मे अपीलार्थी के विरूद्व पश्चातवर्ती अतिचार का ोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही होने व अदालत मातहत द्वारा प्रेषित वर्तमान रिपोर्ट मे अतिक्रमित राजी खाली पडी होने से अपीलार्थी के विरूद्व पारित पश्चातवर्ती अतिचार के निर्णय पर लोक दालत की भावना से सहानुभूति का रूख अपनाया जाकर अपील अपीलार्थी सशर्त स्वीकार किया ाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सशर्त आंशिक रूप से स्वीकार की ाती है जिसमे बेदखली,शास्ति व फसल जब्त कर नीलामी का आदेश तो यथावत रखा जाता है था सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण अदालत मातहत को इस शर्त के साथ प्रतिप्रेषित किया ाता है कि यदि अपीलार्थी का अतिचार अतिक्रमित आराजी पर संवत 2073 खरीफ मे नही पाया ावे तो सिविल कारावास की सजा का आदेश निरस्त समझा जावे ओर यदि अपीलार्थी का अतिचार ाया जावे तो अपीलाधीन निर्णय मे पारित सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 29/06/16 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

29-6-16

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर